न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/32/2006/दौसा

1– छोट्या पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी सुरैर तहसील सिकराय जिला दौसा।

..... अपीलांट

बनाम

1– गिर्राज पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी सुरेर तहसील सिकराय जिला दौसा।
2– सरकार जरिये तहसीलदार, सिकराय।

..... रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
डॉ0 आर0 वैंकटेश्वरन, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री माघवसिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री राजेश गौतम, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

निर्णय **दिनांक :– 18.11.2020**

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–2005 अपील सं0 53/2005 बउनवानी गिर्राज प्रसाद बनाम छोट्या के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय के समक्ष एक वाद तकामसा एवं दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पक्षकारान की सह खातेदारी की भूमि है जिसमें दोनों का आधा–आधा हिस्सा है। वादी के अनुसार मौके पर वादी अपने आधे हिस्से की भूमि पर अलग से काबिज रहकर काफी लम्बे समय से काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी उसे उसके कब्जे से बेदखल करना चाहता है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी का तकासमा किया जावें। विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11–7–2005 से प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 11–7–2005 से व्यथित होकर अपीलांट गिर्राज ने विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई

जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–2005 से प्राथमिक डिक्री पारित कर दी और तहसीलदार सिकराय को निर्देश दिये कि वह दिनांक 29–8–1991 के अनुसार पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे के अनुसार कुरेजात तैयार कर उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवावे जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विपक्षी द्वारा कथित बंटवारानामा न तो कानून सम्मत है व न ही वादी ने उक्त बंटवारानामा तहरीर किया है। विपक्षी फर्जी बंटवारानामा दिनांक 29–8–1991 जिसके तहत उसने अधिक भूमि ली है, उसी को निर्णय का आधार बनाकर अपीलीय न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अपीलीय न्यायालय की प्राथमिक डिक्री के साथ ही गैर कानूनी तौर पर अवैद्यानिक इकरारनामा दिनांक 29–8–1991 जो कि फर्जी व गैर कानूनी है। उसी के आधार पर कुरेजात बनाने का निर्देश भी तहसीलदार को देने में गलती की है। इन रजिस्टर्ड इकरारनामें को निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता है व न ही अन–रजिस्टर्ड इकरारनामें को साक्ष्य में ग्रहण ही किया जा सकता है। तहसीलदार एवं न्यायालय की सहमति के बिना कोई बंटवारा नहीं किया जा सकता है। अतः विपक्षी द्वारा कथित बंटवारानामा जो कि कतई अवैद्य व गैर कानूनी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–2005 को अपास्त किया जावें एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सिकराय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–7–2005 बहाल रखी जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कहां कि दिनांक 29–8–1991 का बाहमी बंटवारा लिखित में व पूर्ण लिखा–पड़ी के साथ हुआ है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर जो निर्णय व डिक्री पारित की है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या कानूनी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट काबिल खारिज योग्य है।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7– विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11–7–2005 में अंकित किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी दोनों जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 के अनुसार आधे–आधे भाग के खातेदार है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर सरस नरस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में माना कि दिनांक 29–8–1991 को बंटवारा पक्षकारान की सहमति से हुआ है जिनमें पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं। यह लिखा–पड़ी पारिवारिक बंटवारे को नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी की प्राथमिक डिक्री निरस्त की जाती है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पारिवारिक बंटवारा दिनांक 29–8–1991 एक सादा कागज पर लिखा गया है जो कि अन–रजिस्टर्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 में गिर्राज छोट्या पिता मूल्या समस्त भूमि में आधे–आधे भाग के खातेदार हैं। विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जबकि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने एक अनरजिस्टर्ड पारिवारिक बंटवारे को मान्यता प्रदान की है जो विधिसम्मत नहीं है। राजस्व रेकार्ड धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के मध्य भूमि विभाजन के प्रावधान है। पारिवारिक समझौते में सभी पक्षकारों की सहमति आवश्यक है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसमें नियम 18 से 21 की पालना में अंतिम विभाजन प्रस्ताव कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने बाकी है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री सही है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

9– अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–11–2005 निरस्त की जाती है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सिकराय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–7–2005 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(डॉ0 आर0वैंकटेश्वरन)**

सदस्य **अध्यक्ष**